न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –407/2024

अनवान : –

1. किशनसिंह पुत्र अनोप सिह जाति राजपुत निवासी थिराना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 25/7/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा थिराना के ख0न0 105/732 की 0.7590 हैक्ट भूमि व ख0न0 197/726 की 3.1620 हैक्ट, ख0न0 202/725 की 2.3020 हैक्ट, ख0न0 351/2 की 7.5880 हैक्ट कुल तादादी 13.8110 हैक्ट भूमि स्थित है।

वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में बिना किसी बहकाव के वादी के पक्ष में दिनांक 04.11.2019 को अपनी सम्पूर्ण भूमि जो जो रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 6/273 के ख0न0 600 की 6.5130 हैक्ट व खाता स0 5/4 के ख0न0 105/732 की 0.7590 हैक्ट भूमि, ख0न0 197/726 की 3.1620 हैक्ट, ख0न0 202/725 की 2.3030 हैक्ट, ख0न0 351/2 की 7.5880 हैक्ट कुल 13.8110 हैक्ट भूमि में अपने सारा हक व हिस्सा की वसीयत तहरीर व नोटेरी करवा दी।

वादी के पिता अनोपसिंह का देहान्ता 10.01.2023 को हो चुका है। वादी को वसीयत शुदा भूमि दो खातो की है जिसमें एक खाते पर स्थगन आदेश है। अतः रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 6/4 की कुल 13.8110 हैक्ट भूमि में अनोपसिंह पुत्र पन्नेसिह के नाम दर्ज 6222/13811 हिस्सा भूमि में अनोपसिंह पुत्र पन्नेसिंह का नाम कलमजन किया जाकर मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद [illegible] राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:27 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ [illegible] जिस पर प्रतिवादीगण [illegible] जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में

बिना किसी बहकाव के वादी के पक्ष में दिनांक 04.11.2019 को अपनी सम्पूर्ण भूमि जो जो रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 6/273 के ख0न0 600 की 6.5130 हैक्ट व खाता स0 5/4 के ख0न0 105/732 की 0.7590 हैक्ट भूमि, ख0न0 197/726 की 3.1620 हैक्ट, ख0न0 202/725 की 2.3030 हैक्ट, ख0न0 351/2 की 7.5880 हैक्ट कुल 13.8110 हैक्ट भूमि में अपने सारा हक व हिस्सा की वसीयत तहरीर व नोटेरी करवा दी। वादी के पिता अनोपसिंह का देहान्ता 10.01.2023 को हो चुका है। वादी को वसीयत शुदा भूमि दो खातो की है जिसमें एक खाते पर स्थगन आदेश है। अतः रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 6/4 की कुल 13.8110 हैक्ट भूमि में अनोपसिंह पुत्र पन्नेसिह के नाम दर्ज 6222/13811 हिस्सा भूमि में अनोपसिंह पुत्र पन्नेसिंह का नाम कलमजन किया जाकर मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 6/4 की कुल 13.8110 हैक्ट भूमि में से 6222/13811 हिस्सा भूमि अनोपसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार अनोपसिंह का देहान्त हो चुका है। वसीयत के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि की वसीयत अनोपसिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 04.11.2019 को वादी के पक्ष में दो गवाहन शंकर लाल पुत्र आशाराम जाति सुथार सा0 थिराना व महावीर सिंह के समक्ष नोटेरी करवायी थी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि अनोपसिंह की स्वयं अर्जित भूमि होना साबित् है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 6/4 की कुल 13.8110 हैक्ट भूमि में से 6222/13811 हिस्सा भूमि अनोपसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में अनोपसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/7/2024 को [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:27 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –407/2024

अनवान : –

1. किशनसिंह पुत्र अनोप सिह जाति राजपुत निवासी थिराना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 407 सन 2024 निर्णय दिनांक 25/7/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 6/4 की कुल 13.8110 हैक्ट भूमि में से 6222/13811 हिस्सा भूमि अनोपसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में अनोपसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/7/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:32:27 IST
Reason: SelfAttested